भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1272

दिनांक 30 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

पशुधन बीमा दावे

1272. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान बीमा कराए गए पशुओं की संख्या का जिले-वार ब्यौरा क्या है?

(ख) महाराष्ट्र राज्य में जिले-वार दायर बीमा दावों राशि और प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) छोटे और सीमांत किसानों के बीच पशुधन बीमा को अपनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के लिए फसल बीमा के तरह ही अनिवार्य पशुधन बीमा शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में पशुधन बीमा दावों की प्रकिया को सरल बनाने के लिए किन पहलों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ख): महाराष्ट्र के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी की गई निधियों में से अव्ययित शेष राशि थी जिसके कारण पशुधन बीमा के तहत कोई निधि जारी नहीं की जा सकी, इसलिए पशुधन बीमा नहीं किया जा सका।

(ग) छोटे और सीमांत किसानों में पशुधन बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे अपनाने को बढ़ावा देने के लिए योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

i. एपीएल, एससी, एसटी, बीपीएल जैसी श्रेणियों और क्षेत्र के प्रकार में विभेद किए बिना सभी के लिए लाभार्थी योगदान को 20-40% से घटाकर 15% कर दिया गया है। प्रीमियम की शेष राशि का योगदान 60:40 या 90:10 (पर्वतीय/उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए) के रूप में केंद्र और राज्य के हिस्से के रूप में किया जाएगा।

ii. सभी पशुओं के लिए बीमा कवरेज को 10 गोपशु इकाइयों (मौजूदा 5 गोपशु इकाइयों से) तक बढ़ाना, सिवाय सुअर और खरगोश के, जिनके मामले में यह प्रति परिवार 5 गोपशु इकाई होगा। यहां, एक गोपशु इकाई एक बड़े पशु और 10 छोटे पशुओं के बराबर है।

इसके अतिरिक्त, प्रचार अभियानों में सहायता देने और किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए संगोष्ठी तथा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

(घ) ऐसी कोई योजना नहीं है, तथापि, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में कृषि ऋण प्राप्त करने वाले किसान भी पशुधन बीमा का लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) बीमित पशुओं की बेहतर पहचान के लिए आरएफआईडी (RFID) टैगिंग को शामिल करने और रियल-टाइम के आधार पर बेहतर निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और बेहतर दावा (claim) निपटान अनुपात बढ़ाने हेतु देश में पशुधन बीमा पोर्टल के लिए एकल वेब एपीपी वर्क फ्लो पोर्टल (APP workflow) विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विभाग, दावा (claim) के बेहतर निपटान के लिए राज्यों और बीमा कंपनियों के साथ बैठकें आयोजित कर रहा है।

*****